Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to delist / remove 8 Gram Panchayats of Ghatsheela and Musabani blocks from urban areas in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति, एसटी सीट है, के घाटशिला एवं मुसाबनी प्रखण्ड में घाटशिला प्रखण्ड के 8 पंचायत क्रमशः काशिदा, घाटशिला, पावड़ा, धर्मबहाल, गोपालपुर, मउभण्डार उत्तरी, मउभण्डार पूर्वी, मउभण्डार पश्चिमी, एवं मुसाबनी प्रखण्ड के क्रमशः 8 पंचायत उत्तरी ईचडा, दक्षिणी ईचडा, मुसाबनी पूवा, मुसाबना पश्चिमी. उत्तरी बादिया, दक्षिणी बादिया, पूर्वी बादिया, पश्चिमी बादिया उक्त सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अतिपिछडा, गरीब आदिवासी बाहुल्य लोग रहते है एवं उक्त क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित भी है । विदित है कि वर्ष 2011 की जनगनणा में त्रुटीवश उक्त पचायतों को शहरी कोड में डाल दिया गया है जबकि उसके आसपास में न नगर निगम है और न नगर विकास है, अधिसूचित क्षेत्र भी नहीं है, फिर किन कारणों से इतनी बड़ी आबादी को सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है । जबकि वर्षों से जनता की मांग रही है कि उन्हें पूर्व कि भांति ही ग्राम पंचायतों में ही रहने दिया जाए, जिसके कारण उन्हें न तो शहरी क्षेत्रों और न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चलने वाली केन्द्रीय योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है ।

महोदय, वहां की बहुत बड़ी आबादी है और वह पूरा आदिवासी बहुल इलाका है । वह नगर निगम, नगर विकास अधिसूचित क्षेत्र भी नहीं है, फिर किन कारणों से इनको वंचित रखा गया, यह समझ से परे है ।

महोदय, आपके माधयम से माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त सभी पंचायतों को शहरी कोड से हटाकर ग्राम पंचायत में रहने दिया

जाए जिससे गाँवों में चल रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके ।

जिसके कारण उन्हें शहरी क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में चलने वाली केन्द्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जो कि एसटी सीट है और पूरी आबादी आदिवासी बाहुल्य है । नगर निगम, नगर विकास अधिसूचित क्षेत्र भी नहीं है । फिर किन कारणों से इन्हें वंचित रखा गया है, यह समझ से परे है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सभी पंचायतों को शहरी कोड से हटाकर ग्राम पंचायत में रहने दिया जाए, जिससे गांव में चल रही प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल पाए ।